भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 500

(दिनांक 03.12.2025 को उत्तर देने के लिए)

संथाली भाषा के लिए पूर्णतः विकसित दूरदर्शन चैनल और आकाशवाणी कार्यक्रम की शुरूआत

500. श्री कालिपद सरेन खेरवालः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास संथाली भाषा में कार्यक्रमों के लिए समर्पित एक पूर्णतः विकसित दूरदर्शन चैनल स्थापित करने और संथाली भाषा में आकाशवाणी प्रसारण को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पहल शुरू करने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और असम के संथाली भाषी क्षेत्रों से उनकी अपनी भाषा में नियमित टेलीविजन और रेडियो प्रसारण के लिए मांग का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने के बावजूद संथाली भाषा के लिए पूर्णतः विकसित दूरदर्शन और आकाशवाणी सेवा की अनुपस्थिति के क्या कारण हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): दूरदर्शन डीडी झारखंड, डीडी असम, डीडी बांग्ला और डीडी ओडिया चैनलों के माध्यम से संथाली सामग्री/कार्यक्रम प्रसारित करता है ।

व्यापक संथाली भाषी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित आकाशवाणी स्टेशन भी नियमित रूप से संथाली भाषा में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। ये कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में आकाशवाणी कोलकाता, मुर्शिदाबाद और शांतिनिकेतन से प्रसारित किए जा रहे हैं।

झारखंड में आकाशवाणी रांची और चाईबासा, बिहार में आकाशवाणी भागलपुर और ओडिशा में आकाशवाणी बारीपदा और क्योंझर भी नियमित रूप से संथाली में कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं।

इसके अलावा, क्षेत्रीय समाचार यूनिट, कोलकाता संथाली में एक समाचार बुलेटिन भी बनाती है जिसे आकाशवाणी, कोलकाता अपने प्राइमरी चैनल पर प्रसारित करता है ।

सरकार नियमित रूप से पहुंच, ऑडियंस के फीडबैक और समाज से मांग पैटर्न की समीक्षा करती है ताकि संविधान की 8वें अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं में सामग्री की उपलब्धता और पहुंच को सुदृढ़ किया जा सके।

****